[निजी प्रसार के लिए]

अंक ४१ नई दिल्ली, जुलाई २०१३

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'महकमे की सोच बदलने व स्वयं महिलाओं को सहज होने में समय लगेगा'

श्रीमती कमल शेखावत

राजस्थान पुलिस अकादमी के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ पुलिस साईंस एण्ड मैनेजमेंट और सेंटर फॉर सोशल डिफेंस एण्ड जेन्डर स्टडी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत श्रीमती कमल शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, से पुलिस में महिलाओं से सम्बन्धित तथ्यों और उनके मुद्दों के सम्बन्ध में जानकारी तथा सुझावों के बारे में जानने के लिए ज़ीनत मलिक द्वारा किये गये साक्षात्कार के मुख्य अंश पाठकों की सूचना के लिए प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

देश की कुल पुलिस बल का केवल ५ प्रतिशत अनुपात महिलाओं का है। आपके विचार में महिलाओं की संख्या में इस कमी के क्या कारण हैं?

पुलिस संगठन को आज भी हमारे समाज में पुरुष प्रधान एवं पुरुषों के अनुकूल संगठन समझा जाता है। ५ प्रतिशत का अनुपात भी महिलाओं के लिए ३० प्रतिशत आरक्षण (राजस्थान में) के कारण अर्जित हुआ है। अपेक्षाकृत कठिन कार्य प्रकृति एवं दशाओं के कारण इस विभाग की ओर महिलाओं की विशेष रुचि दिखाई नहीं देती। हालांकि, राजस्थान में महिला पुलिस कर्मियों की कुल संख्या ५६६६ है। यह संख्या कुल पुलिस बल का ७.५ प्रतिशत है।

राजस्थान में आमतौर पर एक थाने में कितनी महिलाओं की तैनाती होती है? क्या महिलाओं द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए थानों में कोई विशेष व्यवस्था की गई है? उनकी शिकायतें कौन दर्ज करता है?

वर्तमान में थानों पर औसतन ३-४ महिला पुलिस कर्मी तैनात होती हैं। ग्रामीण एवं दूरदराज के थानों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। राजस्थान पुलिस द्वारा एक स्थायी आदेश के तहत प्रत्येक थाने में महिला डेस्क का प्रावधान है। यह जहाँ तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारी के अधीन कार्य करती है। किसी भी महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर उसकी प्रारंभिक एवं तत्काल सुनवाई महिला डेस्क द्वारा की जाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। हालांकि, महिला कर्मियों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण कई थानों में इस स्थायी आदेश की शत प्रतिशत पालना नहीं हो पा रही है, जिसे और सशक्त किये जाने की आवश्यकता है।

क्या पुलिस बल में महिलाओं द्वारा भर्ती के बाद उन्हें पुलिसिंग से सम्बन्धित सभी कार्य जैसे कि बीट अफ़सर की ज़िम्मेदारी, नियमित गश्त का काम, जाँच अधिकारी के साथ अपराध स्थल पर भेजना आदि जैसे मुख्य काम दिये जाते हैं या उन्हें किसी भी प्रकार से पुरुष सहकर्मियों से कम सक्षम माना जाता है?

महिलाओं के लिए ३० प्रतिशत आरक्षण के कारण चूंकि अब पुलिस संगठन में उनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है, फलतः गश्त, बीट ड्यूटी, संतरी ड्यूटी जाँच एवं अनुसंधान जैसे कार्य भी महिला कर्मियों द्वारा किये जा रहे हैं। जहाँ तक पुरुष सहकर्मियों से कम सक्षम माने जाने का प्रश्न है। कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित उच्चाधिकारी एवं सहकर्मी उन्हें कुछ दायित्वों के लिए उपयुक्त नहीं मानते। महिला पुलिस कर्मियों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाकर उनकी कार्यक्षमताओं का उपयोग आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर महिला पुलिस कर्मियों को भी चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तैयार रहना आवश्यक है। महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी पुलिस की विशिष्ट कार्यदशाओं एवं दायित्वों के अनुरूप मानसिक रूप से तैयार रहना आवश्यक है।

वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुरुष सहकर्मियों द्वारा महिला पुलिसकर्मियों के प्रति समान व्यवहार की मानसिकता विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने की आवश्यकता है?

चूंकि पुलिस एक ऐसा महकमा है जो परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान रहा है। इस विभाग में महिला पुलिसकर्मियों का सम्मिलित होना एक नवीन परिवर्तन है। महकमे की सोच बदलने तथा स्वयं महिला पुलिसकर्मी को सहज होने में समय लगेगा। इन परिस्थितियों में पुरुष सहकर्मियों खासकर वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक सकारात्मक कार्य वातावरण तैयार कर उचित मेंटरिंग (Mentoring) द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उनकी कार्यक्षमताओं का समुचित उपयोग करने में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता। पुरुष सहकर्मियों की सोच को बदलने के लिए जेण्डर सेन्सिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जिसमें इस विषय पर निरन्तर चर्चा–परिचर्चा कर आपसी समझ विकसित करने की आवश्कता है।

क्या मातृत्व व पारिवारिक जीवन तथा काम के बीच तालमेल और संतुलन बनाने के लिए महिलाओं के लिए पुलिस नेतृत्व द्वारा उचित अवसर प्रदान किये जाते हैं? क्या महिलाओं के लिए शिशु सदन (creche) की व्यवस्था उचित स्थानों पर की जाती है?

पुलिस नेतृत्व स्तर पर महिलाओं की मातृत्व एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सम्मान एवं समझ की भावना विकसित होना आवश्यक है। हालांकि, नेतृत्व द्वारा महिलाकर्मियों की समस्याओं की सुनवाई कर समाधान किया जाता है किन्तु कुछ मुद्दों पर नीतिगत स्तर पर विचार–विमर्श कर यथोचित निर्णय कर सभी स्तरों पर लागू किये जाने की आवश्यकता है। जैसे कि महिलाओं की तैनाती व स्थानांतरण उनके घर के आस पास के क्षेत्रों में ही करनी चाहिए। इसमें इनके पति/निकटतम सम्बन्धी के कार्यस्थल को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि, इस तथ्य से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि कामकाजी महिलाओं को भी सुरक्षा के सामान्य पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उसे घर पहुंचने आदि के लिए उचित एवं सुरक्षित समय मिल सके। यदि उनकी तैनाती दूरदराज़ के क्षेत्रों में की जानी हो तब विशिष्ट स्थानों पर उचित संख्या में सुरक्षित शिशु सदन की स्थापना की जानी चाहिए जिसका वर्तमान में अभाव है। इसके अलावा महिलाओं को उनके पारिवारिक दायित्वों को निर्वाह करने हेतु कुछ विशेष प्रकार के अवकाश का प्रावधान बनाया जाना चाहिए जैसे कि परिवार में कोई बीमारी आदि होने की स्थिति में।

इसके अलावा केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक महिला को २ साल तक की 'चाईल्ड केयर अवकाश' के प्रावधान को राजस्थान सहित सभी राज्यों में तुरंत लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, कुछ राज्यों जैसे कि – पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि में यह नीती लागू की जा चुकी है। इसके अंतर्गत महिला बच्चे के १८ वर्ष की आयु के होने तक कभी भी २ साल तक की वैतनिक छुट्टी ले सकती है। इसके लागू होने से महिला कर्मियों को बड़ी राहत मिल जाएगी। साथ ही, महिलाओं द्वारा इस अवकाश के उपयोग के अंतराल में उनकी संख्या कम न हो इसके लिए भी पहले से भर्ती के समय ही योजनाबद्ध रूप से अतिरिक्त संख्या में पुरुष कर्मियों की या अन्य महिलाओं की आवधिक भर्ती की जानी चाहिए।

उपरोक्त के अलावा महिलाओं की पुलिसिंग की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किये जाने की आवश्यकता है?

महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हे मुख्य पोस्टिंग या फील्ड पोस्टिंग पर्याप्त संख्या में मिलनी चाहिये। पुलिस विभाग में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन विभाग के अतिरिक्त राजनीतिक कारकों से भी प्रभावित होती है। एक महिलाकर्मी या अधिकारी के लिए

शेष पृष्ठ ३ पर ......

बूझो और जीतो–१९

प्रिय पाठको,

लोक पुलिस पत्रिका द्वारा आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरूआत गत वर्ष की गई थी और इसके प्रति आपकी रूचि के कारण इस वर्ष भी इसे जारी रखा गया है। इसके अंतर्गत पहले की ही तरह आपसे केवल ५ प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों के सही उत्तर मिलने पर लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाएगा। यदि किसी के ५ से कम प्रश्नों के उत्तर सही हों तब उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा सम्भव है कि किसी अंक में कोई भी विजेता न हो।

किसी अक मे पूछे गए प्रश्नो के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओ के नाम पत्रिका मे प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. किसी व्यक्ति पर तेज़ाब फेंक कर घायल करने वाले को क्या और किस प्रावधान के अंतर्गत दण्ड दिया जा सकता है?

२. क्या किसी बच्चे का बयान केवल पुलिस की मौजूदगी में दर्ज किया जा सकता है?

३. चोरी करने के लिए अपराधी को कम से कम क्या दण्ड दिया जा सकता है?

४. क्या किसी ७० वर्ष के बुज़ुर्ग व्यक्ति को पुलिस पूछ ताछ करने के लिए थाने बुला सकती है?

५. क्या किसी नाबालिग हत्यारे को सत्र न्यायालय दण्ड दे सकती है?

बूझो और जीतो – १६ का परिणाम

अप्रैल २०१३ अंक में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:

१. नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १२६ व १२६ के अंतर्गत किसी वकील को इस बात की आज्ञा नहीं है कि वह अपने मुवक्किल से सम्बन्धित कोई भी सूचना जो उसे, उसके व्यावसायिक सलाह या कार्यवाही के संदर्भ में दी गई हो, किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटे, चाहे वह पुलिस ही क्यों न हो।

२. हां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ११९ के अनुसार किसी गूंगे व्यक्ति की गवाही ली जा सकती है यदि वह अपनी बात खुली अदालत में चिन्हों (ईशारों) द्वारा या लिखित रूप से बतलाए और इसे समझने के लिए किसी अनुवादक की मदद ली जानी चाहिए तथा इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी।

३. हां, क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६ ख के अंतर्गत पति द्वारा अलगाव के दौरान पत्नी के साथ उसकी सहमति के बगैर यौन संभोग करने पर उसे २ वर्ष तक का दण्ड हो सकता है और यह संज्ञेय अपराध है।

४. हां, लेकिन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १७३(६) के अनुसार पुलिस अफसर अदालत से इस रिपोर्ट के कुछ विशिष्ट भाग की प्रति आरोपी को न दिये जाने का आग्रह कर सकता है।

५. नहीं, क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १७४(४) के अंतर्गत आत्महत्या के केस मे 'इन्क्वेस्ट' रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

नोट: इस बार किसी भी सहभागी के सभी उत्तर सही न होने के कारण किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या या ईमेल करे।

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, लोक पुलिस
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–117, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली 110017, भारत
फोन : 91–011–43180200, 43180225–299
फैक्स : 91–011–26864688
ई–मेल : zoonatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http//www.humanrightsinitiative.org

सॉफ्ट स्किल्स :दृष्टिकोण तथा पुलिस कार्य

पुलिस कार्य के संबंध में सॉफ्ट स्किल्स की उपयोगिता जानने हेतु हमें सर्वप्रथम "दृष्टिकोण" तथा "व्यवहार" को समझना आवश्यक है। दृष्टिकोण पुलिस कार्य के समस्त सॉफ्ट स्किल्स को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है।

इस प्रकार हम देखेंगे कि दृष्टिकोण जानकारियों, भावनाओं तथा विचारों से जुड़ी हुई वह विचाराधारा है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के संबंध में हमें निश्चित प्रकार से सोचने, व्यवहार करने तथा प्रतिक्रिया करने हेतु प्रेरित करती है। साधारण शब्दों में कहा जाये तो यह कहना उचित होगा कि दृष्टिकोण का अर्थ हमारे सोचने तथा विचार करने की प्रक्रिया से है तथा आमतौर पर यह सोचने व विचार करने की प्रक्रिया परिवर्तनशील नहीं होती या फिर बहुत कम होती है।

दृष्टिकोण का निर्माण बचपन से ही हो जाता है और ये अनेकों कारकों पर निर्भित होता है। दृष्टिकोण सर्वप्रथम हमारे घर–परिवार के सदस्यों के विचारों तथा उनसे प्राप्त संस्कारों पर निर्भित करता है। इसी के साथ घर–परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त हमारे आस–पड़ोस, कुटुम्बवासियों तथा हमारे परिवेश में हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के विचारों तथा भावनाओं से भी प्रभावित होता है। हमारे जीवन अनुभवों तथा हमारे द्वारा प्राप्त शिक्षा का भी गहरा असर दृष्टिकोण निर्माण पर पड़ता है। उदाहरण के लिये किसी बालक के घर में परिवार के सदस्य सवर्ण जातियों तथा दलित जातियों में भेद करते हों परंतु वह बालक उक्त विचारधारा से विमुख होकर इस प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। परिवार के दृष्टिकोण से इस बालक का दृष्टिकोण भिन्न कैसे हुआ, निश्चित ही उसके जीवन अनुभव में उसने यह पाया होगा कि इस प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं है अथवा उसने अपनी शिक्षा के जरिये इस संबंध में चिन्तन–मनन किया होगा जिसके आधार पर उसकी जानकारी तथा भावना दोनों ही परिवार के विचार परम्परा से भिन्न हो गई और इसी कारण उसका दृष्टिकोण भी भिन्न हो गया। इस प्रकार दृष्टिकोण व्यक्ति के परिवेश, शिक्षा तथा जीवन अनुभवों पर आधारित होता है और दृष्टिकोण से ही उसके विचार प्रभावित होते हैं। इन विचारों के आधार पर ही व्यक्ति का व्यवहार भी प्रभावित होता है। ऊपर दिये गये उदाहरण को यदि लिया जाये तो वह बालक जिसके परिवार के सदस्य जाति के आधार पर भेदभाव रखने के विचार रखते हैं उनके साथ यह संभावना प्रबल है कि वे अपने व्यवहार में भी दलित जाति के व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व समतामूलक व्यवहार न करें। वहीं उस बालक के व्यवहार में समस्त जाति के व्यक्तियों के लिये एक जैसा सम्मान अपेक्षित होगा क्योंकि उसका दृष्टिकोण इस संबंध में समानता की भावना से भरा हुआ है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दृष्टिकोण व्यवहार को प्रभावित करता है। दृष्टिकोण का व्यवहार पर प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में तथा व्यवसायिक जीवन में दोनों में समझना इसलिये आवश्यक है क्योंकि इसके कारण हमारा अधिकतर कार्य प्रभावित होता है। यह इसलिये क्योंकि हम समाज में रहकर परस्पर अंतर्संबंधों के आधार पर ही अपने निजी अथवा व्यवसायिक कार्य करते हैं। दृष्टिकोण हमारे व्यवहार को प्रभावित करने के साथ–साथ हमारे परस्पर अंतर्संबंधों को भी प्रभावित करता है। अंतर्संबंधों को प्रभावित करने के कारण कार्यस्थल पर अथवा निजी जीवन में दृष्टिकोण तथा उससे जनित व्यवहार हमारे कार्य की गुणवत्ता को सीधा प्रभावित करते हैं।

दृष्टिकोण की पुलिसकर्मियों हेतु उपयोगिता

पुलिस के कार्य में भी दृष्टिकोण अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुलिसकर्मी मानवीय भावनाओं से प्रभावित होते हैं और उनकी यह भावनाएं उनके दृष्टिकोण का निर्माण करती हैं। दृष्टिकोण का सीधा प्रभाव उनके व्यवहार पर पड़ता है। चूंकि पुलिस सेवा जनता के बीच में रहकर जनता के परस्पर संपर्क में आने के उपरांत प्रदान की जा सकती है, अतः पुलिस के दृष्टिकोण का सीधा प्रभाव पुलिसकर्मी के संपर्क में आनेवाले अपने सहकर्मियों के साथ तथा जनता के साथ होता है। इस कारण पुलिस का दृष्टिकोण प्रजातांत्रिक भावनाओं से ओत–प्रोत होना चाहिये तथा निर्लिप्त प्रवृत्ति का होना आवश्यक है।

दृष्टिकोण का सीधा संपर्क पूर्वाग्रह से है। पूर्वाग्रह एक अपरिवर्तनशील विचारधारा है जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु अथवा अन्य व्यक्ति के बारे में सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावना रखने हेतु जिम्मेदार होती है। जिस प्रकार का दृष्टिकोण हम रखते हैं तथा उसके बारे में बिना विश्लेषण करे यदि हम हमेशा उस वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में अन्य जानकारियों अथवा तथ्यों से प्रभावित हुए बगैर वैसी ही भावना लगातार रखे रखते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहा जा सकता है। उदाहरण के लिये जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है यदि किसी परिवार में सवर्ण तथा दलित जातियों के बीच में भेदभाव है तो उस परिवार के सदस्यों का विचार यह जानने के बाद भी कि दलित वर्ग के व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुसभ्य कार्यों में लिप्त हैं, वह परिवार फिर भी दलित संवर्ग की जातियों को हेय मानता है तो यह उनका पूर्वाग्रह है, जिसे हम नकारात्मक पूर्वाग्रह कह सकते हैं।

कभी–कभी पुलिस पर भी यह आरोप लगते हैं कि पुलिसकर्मी धार्मिक या लिंग सम्बन्धी पूर्वाग्रहों की शिकार है। पुलिसकर्मियों को अपने कार्यों का विश्लेषण व निष्पक्ष अवलोकन करना चाहिये और यदि इस संबंध में कुछ पुलिसकर्मियों में धर्म विशेष के संबंध में अथवा जाति, वर्ग एंव लिंग विशेष के संबंध में कोई पूर्वाग्रह विद्यमान है तो उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिये क्योंकि भारतीय संविधान तथा भारतीय कानून समता मूलक है जो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा तथा समानता पर आधारित है। पुलिसकर्मी चूंकि कानून के पालन कराने की नौकरी करते हैं। अतः इस प्रकार का पूर्वाग्रह रखना उनके व्यवसायिक कर्तव्यों के विरुद्ध है। पुलिसकर्मी को अपने उचित दृष्टिकोण के निर्माण हेतु निम्न प्रयास करने चाहिये :

१. पुलिसकर्मी का व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसके पुलिस कार्य के दौरान लिये गये निर्णयों को प्रभावित नहीं करना चाहिये। उसे उच्च कोटि की निर्लिप्तता रखनी चाहिये तथा जो कानून में सही है उसे ही सही मानकर कार्य करना चाहिये। उसके व्यक्तिगत विचार हो सकता है किसी संबंध में पृथक हों परंतु कानून के पालन के दौरान कानूनी रूप से जो सही है उसे सही मानना पुलिस के कर्तव्यों में आता है।

२. पुलिसकर्मी को किसी पुलिस कार्य में निजी रूप से संलग्न नहीं होना चाहिये अपितु कानून का पालन कराने वाले कर्मचारी की हैसियत से ही कर्तव्यबद्ध कर्मचारी के रूप में उस कार्य को देखकर कार्य संपादन करना चाहिये। उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय उसे व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को निजी रूप से उसका विरोधी न समझते हुए उसे कानून की दृष्टि में संदेही तथा जनता व शासन तंत्र के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में ही देखना चाहिये। निजी रूप से उसे अपना दुश्मन मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि यह दृष्टिकोण रहेगा तो निश्चित ही पुलिसकर्मी के हाथों मानव अधिकारों के हनन की संभावनाएं बढ़ेंगी।

३. यह कहीं पर भी अपेक्षित नहीं है कि पुलिसकर्मी उसके पुलिस कार्य के दौरान संपर्क में आने वाले व्यक्ति को निजी रूप से "पसंद" करे। वहां यह भी उतना ही सत्य है कि उससे यह भी अपेक्षित नहीं है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को "नापसंद" करे। अर्थात् निजी भावनाओं को तथा विचारधाराओं को पुलिस कार्य से दूर रखकर यदि पुलिस कार्य किया जाये तो निश्चित ही पुलिस की निष्पक्षता प्रभावित नहीं होगी तथा कानूनी रूप से पुलिसकर्मी बेहतर कार्य कर पायेंगे। इसके लिये यह आवश्यक है कि पुलिसकर्मी निर्लिप्तता से अपने विचारों को समझ सकें, अपने दृष्टिकोण का आंकलन कर सकें तथा अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकें।

४. पुलिस कार्य के दौरान अनेकों विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कि किसी अन्य कार्यक्षेत्र में संभवतः नहीं होती जैसे उत्तेजित भीड़ के साथ संपर्क होना, दुराचारी व्यक्तियों के साथ सीधा संपर्क में आना इत्यादि। इस प्रकार की परिस्थितियों में यदि निजी भावनाओं का रागावेश पुलिसकर्मी अपने कार्यों में करते हैं तो उनका कार्य अधिक मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह भावनाएं उन्हें क्रोध दिलाने के लिये सक्षम होती हैं और क्रोध में यह अधिक संभावना होती है कि पुलिसकर्मी अपना विवेक खोकर ऐसे कार्य करें जो कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है। इस प्रकार दृष्टिकोण का सीधा प्रभाव क्रोध रूपी विकृत व्यवहार करने पर पड़ता है, जो किसी भी दृष्टि से पुलिसकर्मी के कानूनी कर्तव्यों में नहीं आता है।

५. पुलिसकर्मी को सदा यह प्रयास करना चाहिये कि वह निर्लिप्त रहे तथा निष्पक्ष कार्य करे। पुलिसकर्मी को इस हेतु अपने दृष्टिकोण के विकास के लिये कार्य करना होता है। उसके निजी जीवन में तथा उसके संस्कारों के आधार पर अनेकों ऐसे तथ्य हो सकते हैं जिन्हें वह उचित मानता हो परंतु कानून उसे अनुचित मानता हो। इसी प्रकार उसके निजी जीवन में ऐसे भी कई तथ्य हो सकते हैं जिन्हें वह सही मानता हो तथा कानून भी उसे सही मानता हो। पुलिसकर्मी को कानूनी रूप से अपने पुलिस–कार्यों को निजी विचारों से पृथक कर कानूनी विचारधारा से विश्लेषित करने का अभ्यास करना चाहिये ताकि कानूनी रूप से निष्पक्ष होकर कार्य करने हेतु तत्पर रह सके।

इस प्रकार यदि उपरोक्त प्रकार से पुलिसकर्मी स्वयं के विचारों, भावनाओं तथा जानकारियों को अपने निजी विचारों, जानकारियों तथा पूर्वाग्रहों से पृथक कर कानूनी रूप से देखते हुए उचित व अनुचित का निर्णय निष्पक्ष रूप से करते हैं तो वे अपने दृष्टिकोण को एक प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों से सुगठित पुलिस कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में सफल हो सकते हैं। आज भारतीय पुलिस को इस ओर और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। पुलिस कार्य में उपयोग में आने वाले अन्य समस्त सॉफ्ट स्किल्स पुलिसकर्मी के दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। अतः पुलिसकर्मी का उचित दृष्टिकोण पुलिस के सॉफ्ट स्किल्स के निर्माण का आधार है। दृष्टिकोण से पुलिस के व्यवहार का सीधा जुड़ाव है। अतः पुलिस व्यवहार के संबंध में हम अगामी अंक में और अधिक चर्चा करेंगे।

— श्री विनीत कपूर
ए.आई.जी. मध्य प्रदेश पुलिस

क्या आप जानते हैं?

इस स्तम्भ में हम पिछले अंक से बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों, निर्देशों आदि को आपकी जानकारी के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। इसी क्रम में वर्तमान अंक में उच्चतम न्यायालय द्वारा *जितेन्द्र सिंह / बब्बू सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य २००३ के आपराधिक अपील न. ७६३ में १० जुलाई २०१३ के* निर्णय में नाबालिग अपराधियों से सम्बन्धित केसों में मजिस्ट्रेट व पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के मानकों के बारे में निर्देश जारी किया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वर्तमान केस जैसी स्थिति बार-बार उत्पन्न न हो। इन निर्देशों को उक्त केस के तथ्यों के साथ यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

जितेन्द्र सिंह बनाम उप राज्य

केस विवरण : उक्त केस में अपीलकर्ताओं के अलावा दो अन्य लोगों पर २४ मई १९८८ की रात को आशा देवी नामक महिला जोकि उस समय नाबालिग रहे एक अपीलकर्ता की पत्नी और दूसरे की बहू थी, को दहेज के लिए जला कर मार डालने का आरोप लगा था। सत्र न्यायालय राय बरेली में इसे १९९० में दहेज हत्या करार दिया गया और मृतक आशा देवी के पति और ससुर को दोषी ठहराया तथा दो अन्य लोगों को आरोपमुक्त कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध उनलोगों ने अलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ में अपील की जिसे २००३ में खारिज कर दिया गया। इसके बाद उनलोगों ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की।

इस अपील की विचाराधीनता के अंतराल में एक अपीलकर्ता मृतक के ससूर का देहान्त हो गया, इसलिए निर्णय केवल एक अपीलकर्ता के लिये किया जाना था। २०१० में उसने एक अर्जी डालकर अतिरिक्त आधार जोड़ने की मांग की जिसे उच्चतम न्यायालय ने मान लिया और इसके अनुसार उसने दावा किया कि हत्या के समय वह केवल १४ वर्ष का नाबालिग था। अब अदालत को केवल यह देखना था कि क्या अपीलकर्ता जोकि अब ४० वर्ष का हो चुका है उस समय नाबालिग था?

उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग होने के सबूत एकत्रित करने के लिए निचली अदालत को इंक्वायरी करने के लिए निर्देश दिया और इसकी रिपोर्ट ४ महीने के भीतर देने को कहा। इस आधार पर पाया गया कि यह तो तय था कि दहेज हत्या की गई थी, और यह भी सिद्ध हुआ कि अपीलकर्ता हत्या के समय नाबालिग था। अब इसके साथ अदालत को क्या करना चाहिए। इसलिए, अदालत ने सम्बन्धित विषय से जुड़े सभी निर्णयों का आकलन किया जिसमें कुछ में उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग अपीलार्थी को लड़कपन के आधार पर दण्डमुक्त कर दिया था। कहीं उसे दोषी तो माना गया था लेकिन दण्ड केवल उतनी ही अवधि का दिया गया था जितना समय वह पहले ही जेल में बिता चुका था।

अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (२०१२) ९ एस.सी.सी. ७५० जहां अपराधी की दोषसिद्धि को सही माना गया था और उसके केस के सभी रिकॉर्ड को बाल न्याय बोर्ड के समक्ष उचित दण्ड देने के लिए भेज दिया गया था, वर्तमान केस का निर्णय भी उसी पर आधारित है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी को नाबालिग मानते हुए उसके केस में उचित दण्ड के रूप में अपराधी पर उचित जुर्माना लगा करने के लिए केस के रिकॉर्ड को बाल न्याय बोर्ड भेज दिया।

इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने संरक्षण अधिनियम और नियमावलि बाल न्याय देखरेख के सम्बन्धित प्रावधानों व अंतरराष्ट्रीय संविदा को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्देश जारी किये हैं जिसे मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों को नाबालिगों के केसों में कार्यवाही करते हुए ध्यान में रखना है और उसका अनुसरण करना है:-

मजिस्ट्रेट व बाल न्याय बोर्ड द्वारा अनुसरण के लिए निर्देश

१. जब भी किसी को पहली बार मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या इसके बाद जितनी जल्दी हो सके यह सुनिश्चित कर ले कि आरोपी कहीं नाबालिग तो नहीं है। जांच अधिकारी कई बार नाबालिग आरोपी को व्यस्क समझ सकते हैं। उक्त कानून के नियम १२ में यह प्रावधान है कि अगर मजिस्ट्रेट को आरोपी की व्यस्कता पर रत्ती बराबर भी संदेह हो तो वह उसके लड़कपन पर निर्णय ले सकता है और इसे रिकॉर्ड में कर ले। इसके बाद अगर हिरासती रिमांड की आवश्यकता हो तो व्यक को जेल में भेजा जाए और नाबालिग को निरीक्षण गृह में। इसके बाद आरोपी की उम्र पर निर्णय लेने के लिए मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी का आदेश दे देना चाहिए।

२. नाबालिग से सम्बन्धित सभी विचाराधीन केसों में जिसमें – मुकदमा, अपील, पुनर्विचार, पुनरीक्षण सम्मिलित हैं में *बाल न्याय अधिनियम २००० की* धारा २० के अनुसार अदालतों में कार्यवाही जारी रहेगी जैसे कि उस क्षेत्र में यह कानून लागू नहीं किया गया है। लेकिन, अगर अदालत यह पाती है कि नाबालिग ने अपराध किया है तब कोई दाण्डिक आदेश देने के बजाय नाबालिग को बाल न्याय बोर्ड भेज देगी ताकि वह उक्त कानून के अंतर्गत उसे दण्ड दे सके।

३. बोर्ड ऐसी स्थिति में नाबालिग को दण्ड देते समय यह मान लेगा कि उक्त कानून के अंतर्गत इंक्वायरी के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नाबालिग दोषी है।

४. बोर्ड दण्ड देते समय, अपराध के समय अपराधी की आयु के आधार पर दण्ड देगा। इससे दण्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि अब अपराधी व्यस्क हो चुका है।

पुलिस द्वारा अनुसरण के लिए निर्देश

कई शोध व सर्वेक्षण के आधार पर बच्चों व नाबालिग अपराधियों के बारे में यह मान लेना उनके हित में होगा कि उनकी शैक्षणिक और सामाजिक परिपेक्ष के कारण उनमें अपने लड़कपन का दावा करने का साहस नहीं होगा। इसलिए, गजिरट्रेट के साथ साथ पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वह नये *संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता* के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ़्तारी करे।

१. यदि किसी नाबालिग को पकड़ा जाए तो उसे *बाल न्याय अधिनियम २००० की* धारा १० के अनुसार बाल पुलिस यूनिट या स्पेशल पुलिस अफसर के सुपुर्द कर दिया जाए।

२. गिरफ़्तारी के बाद यात्रा के समय को छोड़ कर उसे २४ घंटों के भीतर बाल न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

३. किसी भी स्थिति में नाबालिग को लॉक अप या जेल नहीं भेजा जाएगा।

४. निरीक्षण गृह भेजने के लिए राज्य सरकार उचित प्रबंध करेगी।

५. किसी नाबालिग को पकड़ते समय भी *दण्ड प्रक्रिया संहिता* की धाराओं ४१ ख, ५०-क, ५४ (१) (२) (३) के अनुसरण करना होगा।

आशा है, उपरोक्त निर्देशों के पालन से वर्तमान केस जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और समय पर उचित न्याय हो सकेगा तथा अदालतों का समय इन मामलों को सुलझाने में नष्ट नहीं होगा बल्कि पहले ही उचित निकाय में सुनवाई हो जाया करेगी।

प्रस्तुतिः जीनत मलिक

पृष्ठ १ का शेष .....

विभिन्न कारकों के प्रभाव के चलते मुख्यधारा की पोस्टिंग पाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इस संबंध में उच्चनीतिगत स्तर पर निर्णय लिया जाकर उसे अमल में लाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन द्वारा एक सकारात्मक कार्य वातावरण तैयार कर इस हेतु महिला पुलिस कर्मियों को भी प्रेरित किया जाना आवश्यक है। कैरियर प्लानिंग एवं कार्य एवं निजी जिम्मेदारियों में तालमेल जैसे विषयों पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए चर्चा-परिचर्चायें, सेमिनार का आयोजन आवश्यक है ताकि सही मार्गदर्शन हो सके।

क्या वर्तमान समय में महिलाओं को बल में लाने के लिए आरक्षण द्वारा की जा रही कोशिशों से उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी? क्या संगठनात्मक स्तर पर महिला कर्मियों के लिए अनुकूल अवसंरचना उपलब्ध है?

पुलिस में महिला कर्मियों की उपस्थिति के फलस्वरूप संगठन स्तर पर उत्पन्न हो रही संक्रमणकालीन (transitional problem) समस्याओं का निदान अत्यन्त आवश्यक है। कई बार महिला कर्मियों के प्रति पुरुष कर्मियों में एक गहरा नकारात्मक पूर्वाग्रह देखने को मिलता है जिसे दूर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है चूंकि यह उस श्रम शक्ति जो अनेक आशाओं के साथ कार्यक्षेत्र में दाखिल होती है, की गहरी उपेक्षा है तथा उनकी कार्यक्षमताओं की अवहेलना है। इसलिए पुरुष कर्मियों के रुझान और बर्ताव को महिला कर्मियों के प्रति सहज बनाने के लिए लगातार परिवर्धा करने की आवश्यकता है। महिला कर्मियों के प्रति पुरुष कर्मियों में एक गहरा नकारात्मक पूर्वाग्रह देखने को मिलता है जिसे दूर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

मेरे विचार में, एक ओर जहां महिलाओं को बल में लाने के लिए आरक्षण का सहारा लिया जा रहा है वहीं उनकी अनुकूलता और सहजता के अनुसार कार्यालयों व थानों में अवसंरचनाओं का निर्माण भी आवश्यक है। जैसे कि उनके लिए उचित व अलग चेंजिंग रुम, वॉश रुम, रेस्ट रुम आदि उपलब्ध कराना।

आपके विचार

संपादक महोदय,

नमस्कार!

लोक पुलिस का गई २०१३ अंक प्राप्त हुआ। इसमें, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम २०१२ तथा यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा नियमावलि २०१२ पर आधारित लेख बेहद लाभकारी है। विशेषकर, जिस भाग में पुलिस द्वारा ध्यान में रखे जानी वाली सुचना है।

मैं आशा करता हुँ कि इस पत्रिका द्वारा इसी प्रकार नवीनतम कानूनों और हमारे काम से सम्बन्धित अदालतों के दिशा निर्देशों पर लेख प्रस्तुत की जाती रहेगी। इससे हमें नवीन कानूनों के उपयोग को समझने में बेहद मदद मिलेगी।

इस लेख के लिए बहुत धन्यवाद!

उप निरीक्षक, थाणे
महाराष्ट्र पुलिस

नमस्कार जी,

लोक पुलिस के मई अंक में समाचारों के खण्ड में 'क्या कांस्टेबुलरी का पद समाप्त होगा' के समावेश से नीति स्तर पर चल रही इस बात का पता चला जोकि बेहद दुखद समाचार है।

मैं स्वंय ३७ वर्षों से पुलिस बल में कार्यरत हुँ और अब हेड कांस्टेबल हुँ, मुझे इस सूचना से बड़ी हैरानी और निराशा है कि इस प्रकार की चर्चा हो रही है। कुछ सवाल हैं जो मैं उठाना चाहता हुँ कि अगर प्रशासनिक सुधार आयोग के इस सुझाव को राज्य सरकारों द्वारा मान भी लिया जाता है तो, जो तकरीबन ८६ प्रतिशत कांस्टेबुलरी अभी बल में मौजूद है उनका भविष्य क्या होगा? अगर हो सके तो पत्रिका द्वारा इस विषय पर आकलन प्रस्तुत किया जाए।

हेड कांस्टेबल,
दक्षिणी दिल्ली थाना
सदस्य, दिल्ली पुलिस

हम, *लोक पुलिस* के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, *लोक पुलिस* में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

अपराध कम करने की असंवैधानिक कोशिश

दिल्ली में, यौन अपराधियों को लज्जित करने तथा जनता को उनके बारे में सावधान करने के जोश में पुलिस ने अपनी वेबसाईट पर उन आरोपियों का ब्यौरा भी अपलोड कर दिया है जो अपना दण्ड भुगत चुके हैं या फिर जिन पर यौन हिंसा का आरोप हटा कर अदालत ने कोई अन्य अपराध जैसे अपहरण आदि का आरोप लगाया है।

इस शुरूआत से एक ओर पुलिस को विश्वास है कि उन्हें अभयरत अपराधियों को पकड़ने में सहायता मिलेगी, वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सम्मानपूर्वक जीवन जीने के सांवैधानिक अधिकार और आपराधिक न्याय व्यवस्था की सुधारात्मक पद्धति को चुनौती देता है।

वर्तमान आपराधिक न्याय व्यवस्था अपराधियों को जेल में सुधारने का और बाद में उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का ध्येय रखता है। लेकिन, किसी अपराधी की सूचना पब्लिक डोमेन में रखना जबकि वह अपने अपराध के लिए पहले ही दण्ड भुगत चुका है, अच्छाई से बुराई की ओर जाने जैसा है।

इस मुद्दे पर वकीलों का कहना है कि इस कदम को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और नाम हटवाने के लिए अदालत से निर्देश लिया जा सकता है। साथ ही, इसके लिए मुआवज़ा भी मांगा जा सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करने से अपराधी पर जीवन भर के लिए एक दाग़ लग जाएगा और वह तथा उसका परिवार कभी भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकेंगे। इससे उन्हें कोई नौकरी नहीं देगा और ऐसी स्थिति में एक अपराधी सदा के लिए अपराधी ही रहेगा क्योंकि उसके पास जीवन यापन के लिए अपराध करने के अलावा शायद कोई और विकल्प मौजूद ही न हो।

अगर पुलिस अपराधियों की रिहाई के बाद उनकी जीवन शैली पर नज़र रखना चाहती है तो इसके लिए आंतरिक रूप से उनका ब्योरा अपने पास रख सकती है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में रिहा हो गए अपराधियों का ब्योरा पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाना चाहिए।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ़ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम ६ जुलाई २०१३)

नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न की आरोपी पुलिस

एक ओर जहां अन्य लोगों द्वारा यौन अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस सांवैधानिक मुल्यों की भी परवाह नहीं कर रही है वहीं, उसी बल के सदस्यों को जिनका दायित्व है लोगों की हर प्रकार के अपराधों से सुरक्षा करना, बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोपी बनाया गया है।

बाहरी दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने न केवल ७ नाबालिग लड़कों को डी.डी.ए. के एक फ्लैट में कैद कर रखा था बल्कि उन्हें बंद कमरे में मारा पीटा तथा उनका यौन शौषण भी किया था। पुलिस पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इस फ्लैट पर भी गैर कानूनी रूप से ही कब्ज़ा किया हुआ है।

दिल्ली बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने इस घटना पर कड़ी अप्रसन्नता जताई है जबकि इसकी तीन सदस्यीय समिति ने इस घटना की इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। एक थाना अध्यक्ष समेत ६ पुलिसकर्मियों को चोरी के दो केसों में तीन दिनों तक बंद करके रखने के लिए निलंबित कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसमें जांच अधिकारी एंव समबद्ध पुलिसकर्मियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लूट का माल प्राप्त करने के लिए रखा गया था।

आरोप के अनुसार यह घटना २६-२८ मार्च के मध्य हुई थी जिससे कि बाल न्याय एंव संरक्षण अधिनियम २००० तथा दुसरे कानूनों का सीधा उल्लंघन होता है।

इस केस में बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने पुलिस से १७ जूलाई २०१३ तक कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। उपरोक्त आरोपों के मद्देनज़र पुलिस की संवेदनहीनता और चारित्रिक गिरावट का एक नया उदाहरण देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में, अब यही कामना की जा सकती है कि आरोपी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध ठीक प्रकार से जांच की जाए और उन्हें बचाने के लिए किसी प्रकार का विभागीय पक्षपात न किया जाए ताकि उन्हें विभिन्न नए तथा संशोधित कानूनों के अंतर्गत कठोर दण्ड मिले।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ़ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम ११ जुलाई २०१३)

पुलिस शिकायत प्राधिकरण : कहीं कुंआ, कहीं खाई!

चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह आरोप लगाया है कि प्रदेश पुलिस शिकायत प्राधिकरण अपने अधिकारक्षेत्र से बढ़कर निर्देश जारी कर रहा है जबकि वह प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर २०१२ में प्राधिकरण द्वारा दिये गये आदेश को ख़ारिज करने/बदलने की मांग कर रहा है।

उच्च न्यायालय ने इस आदेश द्वारा प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा है कि प्रशासन उस अधिसूचना को रद्द करे जिसके द्वारा इसने प्राधिकरण को एक दंतहीन व अप्रभावी निकाय बना दिया है जो कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता है केवल सिफारिश कर सकता है। इसके बाद प्रशासन ने यह सूचना गृह मंत्रालय को भेजा ताकि इस अधिसूचना में संशोधन किया जा सके। पहले यह अपेक्षित था कि उच्च न्यायालय के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। लेकिन गृह मंत्रालय ने प्रशासन को उच्च न्यायालय के आदेश पर पुनःविचार करने के लिए कहा है। इसी आधार पर प्रशासन ने उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी ताकि वह अपने अक्टूबर के आदेश पर पुनर्विचार कर सकें।

प्रशासन ने अपनी याचिका में प्राधिकरण द्वारा दिये गए दर्जनों आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न की है जिसमें निजी व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश, गलत पुलिसकर्मियों का निलंबन, जांच अधिकारी को बदलना और किसी पक्ष को सम्पत्ति का कब्ज़ा देना जैसे निर्देश सम्मिलित हैं। प्रशासन ने यह भी कहा कि प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाहर भी आदेश पारा कर रहा है। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण केवल एक 'शिकायत पेटी' और 'प्रभावहीन टाईगर' बन कर रह गया है। लेकिन, इस याचिका को प्रशासन और पुलिस दोनों के द्वारा यह कह कर विरोध किया गया है कि इससे पुलिस पर प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाएगा।

जिन प्रदेशों में प्राधिकरण मज़बूती से अपने दायित्व के निर्वाह में कानून अनुसार उचित और सटीक सिफ़ारिश कर रहा है या निर्देश जारी कर रहा है, वहां यह राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन की आँखों का कांटा बन गया है और वे इसे शक्तिहीन करने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। इसी का उदाहरण चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। आशा है, अदालत की फटकार के बाद पुलिस व प्रशासन को बात समझ आएगी और वे अकारण ही अदालतों में याचिकाएं डाल कर सरकारी खज़ाने और अदालत के समय को नष्ट करने से अपने हांथ खींचेंगे।

(सौजन्य: इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम १३ जुलाई २०१३)

गोवा पुलिस शिकायत प्राधिकरण - दोषपूर्ण कार्यवाही

गोवा में पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए पुलिस द्वारा प्रताड़ित कुछ पीड़ितों द्वारा दायर की गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया ताकि कानून लागू करने वालों के विरूद्ध जनता की शिकायत की सुनवाई की जा सके।

२००६ में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद गोवा में प्राधिकरण की स्थापना की गई है लेकिन, इसका कार्य उस तरह सम्पन्न नहीं किया जा रहा है जिस तरह उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया था। इन पीड़ितों के अनुसार गोवा पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें निर्वस्त्र किया, जातीयता के आधार पर गाली दी और दुर्भावनापूर्वक मुकदमे में फंसाया। जब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस शिकायत प्राधिकरण में की तब वहाँ भी इसने आरोपी पुलिस के वकील द्वारा पीड़ितों के क्रॉस एक्जामिन करने की आज्ञा दे दी गई लेकिन पीड़ितों के वकील को पुलिस अधिकारियों का क्रॉस एक्जामिन करने की आज्ञा नहीं दी गई। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा कथित कार्यवाही की प्रक्रिया में पूरी तरह पुलिस अधिकारियों का पक्ष लिया गया जोकि उच्चतम न्यायालय के अधिदेश के विरूद्ध है, जिसमें कहा गया था कि प्राधिकरण के संचालन के लिए स्वतंत्र और अपक्षपाती लोगों की नियुक्ति की जाए।

इसलिए, आवश्यक है कि जहां प्राधिकरण नहीं हैं वहां ३ महीने के भीतर इनका गठन किया जाए और जहां इनके गठन में त्रूटियाँ हैं वहां इसे भंग करवा कर सदस्यों की दोबारा नियुक्ति की जाए।

(बिज़नेस स्टैंडर्ड डॉट कॉम १८ जूलाई २०१३)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ६१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ६१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org